भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1192

जिसका उत्तर सोमवार, 27 जुलाई, 2026/5 श्रावण, 1948 (शक) को दिया गया

वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना

†1192. श्री जयन्त बसुमतारी:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) जनवरी 2026 के अनुसार वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना (वीपीबीवाई) के अंतर्गत लाभार्थियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत पेंशन का लाभ न मिलने या अन्य मुद्दों से जुड़ी शिकायतों की संख्या कितनी है और उन सभी शिकायतों की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा जनवरी 2026 तक इस योजना के अंतर्गत पेंशन वितरण में किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है;

(घ) योजना शुरू होने के बाद से वार्षिक लाभ के भुगतान के समय वसूले गए कर का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का इस योजना को कर के उद्देश्य से "छूट प्राप्त" श्रेणी में लाने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना के अंतर्गत लाभार्थियों का राज्यवार ब्यौरा अनुबंध 'क' के अनुसार संलग्न किया गया है।

(ख) वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना के संबंध में प्राप्त शिकायतों से संबंधित आंकड़े अनुबंध 'ख' के अनुसार संलग्न हैं।

(ग) वीपीबीवाई योजना के अंतर्गत भारत सरकार से जनवरी 2026 तक प्राप्त सब्सिडी का विवरण उत्तर के अनुबंध 'ग' के अनुसार दिया गया है।

(घ) वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना (वीपीबीवाई) के अंतर्गत पॉलिसियों के संबंध में वार्षिक लाभों के भुगतान के समय कोई कर एकत्र नहीं किया जाता है।

(ङ) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

दिनांक 31.01.2026 तक की स्थिति के अनुसार वीपीबीवाई योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के राज्यवार आंकडे

क्रम संख्या	राज्य का नाम	लाभार्थियों की संख्या
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	24
2	आंध्र प्रदेश	8323
3	अरुणाचल प्रदेश	8
4	असम	2619
5	बिहार	4378
6	चंडीगढ़	928
7	छत्तीसगढ़	2881
8	गोवा	2550
9	गुजरात	38133
10	हरियाणा	3648
11	हिमाचल प्रदेश	1248
12	जम्मू और कश्मीर	907
13	झारखंड	5613
14	कर्नाटक	24872
15	केरल	15259
16	मध्य प्रदेश	9313
17	महाराष्ट्र	75407
18	मणिपुर	45
19	मेघालय	170
20	मिजोरम	7
21	नागालैंड	23
22	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	17023
23	उड़ीसा	4961
24	पुडुचेरी	503
25	पंजाब	3967
26	राजस्थान	7380
27	सिक्किम	44
28	तमिलनाडु	29806
29	तेलंगाना	8882
30	त्रिपुरा	386
31	उत्तराखंड	2829
32	उत्तर प्रदेश	18579
33	पश्चिम बंगाल	52515
34	लक्षद्वीप	0
35	लद्दाख	0
36	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	0
	कुल	343231

अनुबंध 'ख'

	श्रेणी						
वित्तीय वर्ष	**प्राप्त शिकायतों की संख्या**	**प्राप्त नहीं हुई वार्षिकी**	**मौत संबंधी दावे**	**सुपुर्दगी**	**जीवन प्रमाण पत्र जमा करना**	**सेवा संबंधी अन्य मामले**	**वर्तमान स्थिति**
2025-26	151	54	29	7	29	32	समाधान किया गया
(जून'26) तिमाही वित्तीय वर्ष 2026-27	33	11	3	0	11	8	समाधान किया गया

अनुबंध 'ग'

वित्तीय वर्ष	**प्राप्त सब्सिडी (राशि करोड़ में)**
2003-04	45.00
2004-05	263.16
2005-06	244.59
2006-07	226.33
2007-08	235.42
2008-09	150.00
2009-10	276.39
2010-11	175.70
2011-12	182.04
2012-13	99.55
2013-14	115.81
2014-15	111.24
2015-16	101.79
2016-17	125.14
2017-18	245.24
2018-19	170.64
2019-20	117.01
2020-21	45.05
2021-22	65.00
2022-23	111.54
2023-24	134.96
2024-25	101.16
2025-26	81.45
कुल	**3424.21**

*****